अत्यावश्यक
ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक–2प/पं०स०भ०/09–16/2024/7205/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

पटना, दिनांक: 06/6/2025

विषय :– पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–545 दिनाक–10.03.2025 एंव बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना का पत्रांक–2140 दिनांक–03.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–4953 दिनांक–07.04.2025 के माध्यम से कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सुधानी में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति के बिन्दु पर बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना से अनुरोध किया गया था।

बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया गया है कि "उक्त भूमि पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण के संबंध में बोर्ड की बैठक दिनांक 03.06.2025 द्वारा निर्णय लिया गया है कि UMEED-1995(यथा संशोधित–2025) की धारा–51(1–A) के अंतर्गत Any Sale, gift, exchange, mortgage or transfer of waqf property shall be void ab initio. का प्रावधान है। ऐसे में उक्त भूमि अहस्तांतरणीय है।"

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु बारसोई प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सुधानी में अन्य उपयुक्त भूमि चयन करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024/7205.....पं०रा० पटना, दिनांक 06/6/2025

प्रतिलिपिः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024/7205.....पं०रा० पटना, दिनांक 06/6/2025

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक– 2प/पं०स०म०/09–16/2024/7205.....पं०रा० पटना, दिनांक.....06/6/2025

प्रतिलिपिः– आई टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव